न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 49/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मनोज कुमार सिन्हा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल		1. कृष्णमोहन पुत्र जयकिशन अग्रवाल वेंडर रिफ्रेंशमेंट स्टॉल रेलवे स्टेशन फालना व अन्य 2. मैसर्स जय किशन अग्रवाल व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

–:निर्णय:–

दिनांक: 05.12.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य संरक्षण अधिकारी अजमेर द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन अनुसार दिनांक 12.10.2022 को समय सुबह 9:15 बजे वह अपने कार्यक्षेत्र में रेलवे स्टेशन फालना पर स्थित रिफ्रेशमेंट स्टॉल मैसर्स श्री कृष्ण मोहन फॉर जयकिशन अग्रवाल एंड संस पहूंच उक्त रिफ्रेशमेंट स्थल पर उसी समय श्री कृष्ण मोहन पुत्र श्री जयकिशन अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता वेंडर उम्र लगभग 46 वर्ष जाति अग्रवाल उक्त रिफ्रेशमेंट स्थल पर यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेचने का कार्य कर रहे थे। मैंने श्री कृष्ण मोहन पुत्र श्री जयकिशन अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता वेंडर को अपना परिचय पत्र दिखाया और आने का प्रयोजन बताकर उक्त खाद्य संस्थान रिफ्रेंशमेंट स्टॉल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ फ्रुट ड्रिंक मेंगों Mr. Fresh Batch No. A220829 के कई भरे हुये पेट बोतल प्रत्येक कम्पनी सील पैक खाद्य पदार्थ मात्रा 600ML उक्त खाद्य संस्थान पर यात्रियों के लिये बिक्री के लिये रखा था, जिसे उस समय बेचा भी जा रहा था। उक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर ही मैंने उसी समय नोटीस तैयार किया एवं उक्त खाद्य कारोबारी से उक्त खाद्य पदार्थ के आठ भरे हुये पॉलीपेट बोतल वास्ते नमूना जांच खरीद की, जिसकी कीमत उक्त खाद्य कारोबारकर्ता को रुपये 320/– नकद देकर रसीद प्राप्त किया। जो आवेदन के साथ सलंग्न है। उक्त नमूना खाद्य के 4 सामान भाग बना कर नोटीस के साथ चार अलग–अलग लिफाफों में चापड़ी से सील की गई मौके पर ही फॉर्म न. 6 की आठ प्रतियां तैयार कर श्री मनोज सिंह पुत्र श्री मांगीलाल सामान्य सहायक अधिनस्थ खाद्य संरक्षण अधिकारी जोधपुर के द्वारा जमा करा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है, शेष दो सील बंद नमूना भाग में फॉर्म न. 6 की दो प्रतियां आउटर कवर में अलग–अलग रख करके एवं नमूना भाग चार फॉर्म 6 की एक प्रति रख कर सील बंद जिस भाग को उक्त श्री कृष्ण मोहन पुत्र श्री जयकिशन अग्रवाल खाद्य कारोबारकर्ता वेंडर के द्वारा आगे Acredited lab में जांच कराने से मना करने पर उक्त नमूना भाग को श्री मनोज सिंह पुत्र श्री मांगीलाल सामान्य सहायक अधिनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को जमा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

राजस्थान जोधपुर विश्लेषण रिपोर्ट द्वारा ज्ञात हुआ कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ फ्रुट ड्रिंक मेंगों Mr. Fresh Batch No. A220829 जांच में (Sub Standard) अवमानक खाद्य पाया गया। जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। उक्त प्रकरण में (Sub Standard) अवमानक खाद्य पदार्थ को बिक्री करने एवं बिक्री के लिये रखकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 की धारा 26 की उप धारा 2 का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दंडनीय है।

प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त खाद्य कारोबारी श्री कृष्ण मोहन ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं उपरोक्त खाद्य पदार्थ बाली की महादेव एजेंसी से खरीदा था, अतः इस मामले में मूझें निर्दोष माना जावें। महादेव एजेंसी से संपर्क कर उनको अवगत कराया एवं मेरे साथ ही न्यायालय में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हआ हूं। महादेव एजेंसी के प्रतिनिधि ने अपने जवाब में निवेदन किया कि इस प्रकरण में मैं श्री कृष्ण मोहन पुत्र श्री जय

अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)

किशन अग्रवाल को मांग के आधार पर जारी बिल संख्या 1364 दिनांक 12.10.2022 को मैंगों ड्रिंक मिस्टर फ्रेश की आपूर्ति की थी। इस संबंध में मेरे द्वारा की गई खरीद का बिल कहीं गुम हो गया है, क्योंकि मेरा छोटा व्यवसाय है वह कम पढा लिखा होने के कारण समझ भी कम है और इस माल की सीधी एजेंसी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं माल खरीद का बिल आपकी सेवा में प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं।

प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों, न्याय निर्णयन आवेदन एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युतर इत्यादि का गहनता से अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उपरोक्त खाद्य पदार्थ (Sub Standard) अवमानक है, एवं ऐसे खाद्य पदार्थ को रखने एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 का उल्लंघन होकर धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन पत्र को अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) के तहत स्वीकार करते हुये मैसर्स कृष्ण मोहन पुत्र श्री जय किशन अग्रवाल वेंडर खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर महादेव एजेंसी बाली को भविष्य में ऐसे अवमानक (Sub Standard) खाद्य पदार्थो को भंडारण करने विक्रय नहीं करने हेतु पाबंद करते हुये दोनो पर रुपये 2000 प्रत्येक आर्थिक शास्ती अधिरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धाति मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में आर्थिक दण्ड की राशि जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner